न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 22/2019 **दायरा दिनांक : 30.01.2019**

उनवान

श्रवण लाल पुत्र पृथ्वीराज, जाति मीणा, निवासी मेलखेडी, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— मुकेश पुत्र रामेश्वर, जाति मीणा, निवासी अस्पताल रोड़ बारां

2— राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र गोविन्द प्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी चौमुखा बाजार श्री जी चौक बारां जिला बारां

3— चन्द्रकलां पुत्री लक्ष्मी नारायण पत्नी मुकेश, जाति मीना, निवासी पचेलखुर्द हाल अस्पताल रोड़ बारां, जिला बारां

4— अंजना पुत्री रामरतन पत्नी रामपाल, जाति मीणा, निवासी तिसाया हाल निवासी दुर्गाबिहार वार्ड नम्बर 25 अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री ओ पी मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बी एल जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 24.02.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 52/2012 निर्णय दिनांक 18.01.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया न न्याय की मंशा को समझने का प्रयास किया गया ।अपीलांट के खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम गजनपुरा खसरा नम्बर 166 रकबा 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.49 हेक्टर स्थित है जिसके लगवा ग्राम रजपाली का कांकड़ है जिस पर खसरा नम्बर 104 रकबा 0.23 हेक्टर सिथत है जो वर्तमान में रेसपोउेंट क्रम 4 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है किन्तु पूर्व नक्शे एवं वर्तमान नक्शे व सैटलमेंट विभाग की त्रुटि के कारण कांकड़ का विवाद होने के कारण कब्जे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ जिसके आधार पर अपीलांट द्वारा एक वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया जिस पर अध्कीनसथ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2017 को आदेश पारित किया गया कि 2 एल आर व 2 पटवारी की टीम गठित कर विवादित आराजियात की पैमाईश दोनों पक्षों की उपस्थित में करें ।अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया कि टीम द्वारा केवल खसरा नम्बर 104 रकबा 0.23 हेक्टर तक ही पैमाईश की रिपोर्ट पेष की गई जबकि खसरा नम्बर 166, 167, 168 ग्राम गजनपुरा की कोई पैमाईश नहीं की गई इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सैटलमेंट से पैमाईश करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तथा सैटलमेंट की रिपोर्ट आने तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थित बनाये रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया । सैटलमेंट की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि पैमाईश करने पर मुताबिक मौका व नक्शा ग्राम रजपाली के खसरा नम्बर 104 के पूर्वी दक्षिणी कोने की सीमा पर स्थित ग्राम गजनपुरा के खसरा नम्बर 171 का पश्चिमी कोना जिसका नाप 28 मीटर व खसरा नम्बर 167 का उत्तरी भाग पूर्व से पष्चिम की ओर जिसका माफ 52 मीटर है

पर अतिक्रमण कर पत्थर कोटा किया हुआ है । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मानकर कि खसरा नम्बर 104 पर कब्जा होने या सैटलमेंट की त्रुटि से अप्रार्थी के खाते दर्ज होना सही नहीं पाया गया है इस प्रकार प्रार्थना पत्र अपीलांट का खारिज किया गया है जबकि अपीलांट द्वारा अपने खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजी खसरा नम्बर 166 रकबा 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.49 हेक्टर ग्राम गजनपुरा के सन्दर्भ में भी मांगा गया है तथा सैटलमेंट टीम द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 17.04. 2018 में ग्राम गजनपुरा के खसरा नम्बर 171 व 167 दोनों पर अतिक्रमण माना गया है जिसमें खसरा नम्बर 167 अपीलांट के खातेदारी का है तथा पूर्व नक्शे व वर्तमान में नक्शे में परिवर्तन किया गया है इस हेतु अपीलांट द्वारा नक्शे की दुरूस्ती बाबत अधीनस्थ न्यायालय में वाद 85/2017 बउनवान श्रवण लाल बनाम चन्द्रकला, अन्जना पेष कि जिसमें खसरा नम्बर 171 की भू पट्टी प्रार्थी के खातेदारी के उत्तरी ओर गलत रूप से दर्ज की गई है जबकि पूर्व के नक्श में दर्ज नहीं थी तथा रेस्पोडेंट क्रम 4 के खातेदारी में ग्राम रजपाली खसरा नम्बर 104 रकबा 0.23 हेक्टर सैटलमेंट विभाग द्वारा अधिक अंकित किया गया है खसरा नम्बर 104 के साबिक खसरा नम्बर 73 रकबा 1 बीघा 5 बिसवा से कायम किया गया है जिसके 0. 20 हेक्टर दर्ज होना चाहिए था जिसका सैटलमेंट सम्वत 2038–57 में गलत रूप से 0.03 हेक्टर अधिक दर्ज किया गया है जिसकी भी दुरूस्ती हेतु उक्त वाद में अपीलांट द्वारा प्रार्थना की हुई है । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया व अपीलांट के खसरा नम्बर 166, 1667, 168 के सनदर्भ में स्थगन आदेश पर किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । जबकि सैटलमेंट विभाग द्वारा खसरा नम्बर 167 के उत्तरी भाग पूर्व से पश्चिम 52 मीटर पर कब्जा माना गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय की मंशा को समझने में त्रुटि

की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.01.2019 प्रकरण संख्या 52/2012 निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ग्राम गजनपुरा की आराजी खसरा नम्बर 166 रकबा 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.49 हेक्टर एवं ग्राम रजपाली की आराजी खसरा नम्बर 104 रकबा 0.23 हेक्टर के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थित बनाये रखे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई । रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित बताया ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय वाद में किया जाना अपेक्षित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर दिया गया निर्णय उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.01.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा